



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227404
CG-DL-E-07062021-227404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943

No. 163]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

मामला संख्या: ए डी (ओआई) 09/2021

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “रेजिन बॉन्डेड थिन व्हील्स” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/09/2021-डीजीटीआर.—

1. मै. ग्राइंडवैल नॉर्टन लिमिटेड तथा मै. कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है), ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा से

निर्यातित “रेजिन बॉन्डेड थिन व्हील्स” (जिसे यहां आगे “विचाराधीन उत्पाद” या पीयूसी या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “रेजिन बॉन्डेड थिन व्हील्स” है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें वेल्डिंग, कटिंग, स्नेगिंग और लौह तथा अलौह धातु सामग्री की कटिंग के लिए प्राथमिक धातु बाजार हेतु फाउंड्री शामिल हैं। इसे ओवन में प्रैस तथा उसके पश्चात् बेकिंग पर पहिये की मोल्डिंग की प्रक्रिया के प्रयोग से और तत्पश्चात् स्ट्रिपिंग और पैकिंग के माध्यम से विनिर्मित किया जाता है। पीयूसी के दायरे में निम्न प्रकार के रेजिन बॉन्डेड थिन व्हील्स शामिल हैं :

- (क) 300 एमएम से 356 एमएम व्यास के कटिंग व्हील्स जिन्हें क्रमशः 12” से 14” के रूप में आम तौर पर उल्लिखित किया जाता है।
- (ख) 100 एमएम से 127 एमएम व्यास के अल्ट्रा-थिन व्हील्स जिन्हें क्रमशः 4” से 5” के रूप में आम तौर पर उल्लिखित किया जाता है।
- (ग) 100 एमएम से 107 एमएम व्यास के ग्राइंडिंग व्हील्स जिन्हें आमतौर पर 4” व्यास के रूप में उल्लिखित किया जाता है।
- (घ) 178 एमएम से 180 एमएम व्यास के ग्राइंडिंग व्हील्स जिन्हें आमतौर पर 7” व्यास के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

4. संबद्ध उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्ष 68 के तहत वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

ख. समान वस्तु

5. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम प्रयोग में अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रातिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना गया है।

ग. उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

6. आवेदकों ने लागत कीमत और प्रयोग की दृष्टि से अंतर पर विचार करते हुए जांच के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई तालिका अनुसार पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है :

क्र. सं.	पीसीएन/उत्पाद प्रकार
1	300 एमएम से 356 एमएम व्यास के कटिंग व्हील्स जिन्हें क्रमशः 12” से 14” के रूप में आम तौर पर उल्लिखित किया जाता है।
2	100 एमएम से 127 एमएम व्यास के अल्ट्रा-थिन व्हील्स जिन्हें क्रमशः 4” से 5” के रूप में आम तौर पर उल्लिखित किया जाता है।
3	100 एमएम से 107 एमएम व्यास के ग्राइंडिंग व्हील्स जिन्हें आमतौर पर 4” व्यास के रूप में उल्लिखित किया जाता है।
4	178 एमएम से 180 एमएम व्यास के ग्राइंडिंग व्हील्स जिन्हें आमतौर पर 7” व्यास के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

7. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के पैरा 24 में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार प्रस्तावित पीसीएन प्रणाली के सही होने या अन्यथा के संबंध में अपने अनुरोध दे सकते हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन मै. ग्राइंडवैल नॉर्टन लिमिटेड तथा मै. कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। मै. कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने बताया है वे संबद्ध देश में एक निर्यातक से संबंधित हैं। तथापि, उन्होंने दावा किया है कि उसने अपनी संबंधित कंपनी से केवल विशेष ग्रेड का आयात किया है जिस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा विनिर्मित नहीं किया गया था।
9. आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दोनों आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तथापि, आवेदकों ने बताया है कि उनके द्वारा आयात की मात्रा देश में कुल आयात और मांग की तुलना में नगण्य है।
10. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए और यह नोट करते हुए कि आवेदकों द्वारा आयात की मात्रा देश में कुल आयात और मांग की तुलना में नगण्य है। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदकों के पास भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। उपर्युक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकार नोट करते हैं कि आवेदन नियम 2(ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मापदंडों को पूरा करता है।

ड. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के 7 के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। आवेदकों ने नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि उनके यहां नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8 (3) के अनुसार संबद्ध वस्तु के उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें और परिकलित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमतें न तो आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और न ही यह सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। इसके मद्देनजर सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़कर भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

12. आवेदकों ने वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत और समुद्री बीमा के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

च. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है।

च. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

14. घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और कुल आयातों तथा भारत में खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की भारी मात्रा, कीमत कटौती,

कीमत ह्रास और घरेलू उद्योग पर कम कीमत पर बिक्री प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पीओआई के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे क्षमता उपयोग, उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय, नकद प्रवाह आदि में गिरावट आई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जांच में जांच के प्रयोजनार्थ अवधि जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2017- 18, 2018- 2019, 2019- 20 और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

ञ. प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg15-dgtr@gov.in, adv13dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों और/या निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।
- ठ. समय-सीमा**
24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg15-dgtr@gov.in, adv13dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in

तथा dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
33. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

ण. असहयोग

35. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi 7th June, 2021

Case No. AD-OI-09/2021

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Resin Bonded Thin Wheels” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/09/2021-DGTR.—

1. M/s Grindwell Norton Limited and M/s Carborundum Universal Limited (hereinafter also referred to as the “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Resin Bonded Thin Wheels”, (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The Applicants have alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and have requested for imposition of anti- dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

A. Product under Consideration

3. The product under consideration (PUC) is “Resin Bonded Thin Wheels”. Product under consideration is used in the market in various sectors ranging from welding, cutting, foundry to primary metal markets for snagging and cutting ferrous and non-ferrous materials. It is manufactured by using the process of moulding of the wheel on press and then baking in ovens followed by stripping and packing. The following types of Resin Bonded Thin Wheels are included in the scope of the PUC:
 - a) Cutting Wheels of 300 MM to 356 MM diameter, commonly referred to as 12” to 14” inch diameter respectively;
 - b) Ultra-Thin Wheels of 100 MM to 127 MM diameter, commonly referred to as 4” to 5” inch diameter respectively;
 - c) Grinding Wheels of 100 MM to 107 MM diameter, commonly referred to as 4” inch diameter;
 - d) Grinding Wheels of 178 MM to 180 MM diameter, commonly referred to as 7” inch diameter respectively.
4. *The subject products are classified under Chapter Heading 68 of the Customs Tariff Act. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.*

B. Like Article

5. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India from the subject country, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced

subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. Product Control Number (PCN)

6. The Applicants have proposed PCN Methodology, as given in the table below, for the purpose of the investigation, considering the difference in terms of cost, price, usage etc.:

Sl. No	PCN / Product Type
1	Cutting Wheels of 300 MM to 356 MM diameter, commonly referred to as 12" to 14" inch diameter respectively
2	Ultra-Thin Wheels of 100 MM to 127 MM diameter, commonly referred to as 4" to 5" inch diameter respectively
3	Grinding Wheels of 100 MM to 107 MM diameter, commonly referred to as 4" inch diameter
4	Grinding Wheels of 178 MM to 180 MM diameter, commonly referred to as 7" inch diameter

7. The interested parties may make their submissions with regard to appropriateness or otherwise of the proposed PCN system as per the timelines mentioned in Para 24 of this Notification.

D. Domestic Industry & Standing

8. The application has been filed by M/s Grindwell Norton Limited and M/s Carborundum Universal Limited. The Applicants have claimed that they are not related to any importer of the subject goods in India within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules. M/s Carborundum Universal Limited has stated that they are related to an exporter in the subject country. However, it has claimed that it has imported only a special grade from its related company, which had not been manufactured by the company during that period.
9. As per the information provided by the Applicants, both the Applicants have imported the subject goods from the subject country. However, the Applicants have submitted that the volume of imports made by them is negligible as compared to total imports and demand in the country.
10. Considering the information on record and noting that the volume of imports made by the Applicants is negligible as compared to total imports and demand in the country, the Authority determines that the Applicants account for major proportion of the Indian production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and the application satisfies the criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. Basis of Alleged Dumping

a. Normal Value

11. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule-7 of Annexure I of the Rules. The Applicants have cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicants have claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, have neither been made available by the Applicants nor is this information available with the Authority from any public source. In view of the same, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, considering cost of production in India after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Export Price

12. The Applicants have determined export price for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges, credit cost and marine insurance.

c. Dumping Margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows significant dumping margin above the de minimis in respect of the subject goods from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the subject goods are being exported to India at price below normal value, resulting in dumping of the subject goods from the subject country.

F. Injury and Causal Link

14. Information furnished by the Applicants have been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of significant volume of dumped imports in absolute terms and in relation to total imports and consumption in India, price undercutting, price suppressing and price underselling effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that its performance of the domestic industry has been adversely impacted during the POI leading to decline in capacity utilization, production, domestic sales, profitability, ROCE, cash flow etc. There is prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of the subject goods from the subject country.

G. Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by and on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping in respect of the product under consideration originating in and exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. Subject Country

16. The subject country for the present investigation is China PR.

I. Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation for the purpose of the present investigations is January, 2020 to December, 2020 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the period of investigation.

J. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

K. Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known producers and/or exporters in the subject country, Government of the subject country through its Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg15-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd17dgtr@gov.in within thirty days

from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

M. Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
28. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

34. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority